

पांचवी अनुसूची

[धारा 127(ख) देखिए]

भाग 1

5 केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उपशीर्ष सं. 2106.00, 2108.10, 2201.20, 2202.20, 2401.90, 2404.50, 2404.99, 2502.21, 2502.30, 2502.40, 2502.50, 2502.90, 4301.00, 8703.90, 8704.90, 8706.39, 8706.49, 8903.00, 8907.00, 9302.00, 9303.00, 9304.00, 9305.00, 9306.00 और 9307.00 में, स्तंभ (4) में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

भाग 2

	शीर्ष सं०	उपशीर्ष सं०	माल का वर्णन	विशेष उत्पाद- शुल्क की दर
10	(1)	(2)	(3)	(4)
	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—			
	(1) शीर्ष सं. 24.04 में, उपशीर्ष सं. 2404.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—			
		"-	खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है ;	
			पान मसाला, जिनमें तंबाकू है :	
15	2404.41	--	खाने का तंबाकू और निर्मितियां, जिनमें खाने का तंबाकू है	16%
	2404.49	--	पान मसाला, जिनमें तंबाकू है	16% ^a ;
	(2) शीर्ष सं. 57.02, उपशीर्ष सं. 5702.19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(3) शीर्ष सं. 57.03, उपशीर्ष सं. 5703.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(4) शीर्ष सं. 59.04, उपशीर्ष सं. 5904.10, 5904.91 और 5904.92 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
20	(5) शीर्ष सं. 59.05, उपशीर्ष सं. 5905.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(6) शीर्ष सं. 59.07, उपशीर्ष सं. 5907.90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(7) शीर्ष सं. 69.05, उपशीर्ष सं. 6905.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(8) शीर्ष सं. 69.06, उपशीर्ष सं. 6906.10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;			
	(9) शीर्ष सं. 87.11, उपशीर्ष सं. 8711.20 और 8711.90 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ; और			
25	(10) शीर्ष सं. 94.04, उपशीर्ष सं. 9404.00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।			